29/4/26

पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता द्वारा कहा आवश्यक लगाई गई। अभियुक्त वकालतनामा दाखिल नहीं होने पर पत्रावली अदम - पेरवी अदम दावी से खारिज की जाती है पत्रावली मौखिक चेकट दाखिल दफ्तर होवे